

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक : PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/6214-20

दिनांक:- 29/06/2022

समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय),  
स्थानीय निकाय विभाग,  
राजस्थान।

विषय:- प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 से संबंधित निर्देशिकायें  
(वॉल्यूम 1 से 5) समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर को  
उपलब्ध कराने बाबत।

प्रति

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत 5 निर्देश पुस्तिकाये मुद्रित करवाकर पर्याप्त संख्या में आपके कार्य क्षेत्र में आने वाले जनप्रतिनिधियों/अध्यक्षगणों/उपाध्यक्षगणों/अधीनस्थ निकायों/वार्ड पार्श्वदगणों को वितरित करने के लिए आपको भिजवा दी गई थी। अब अभियान के तहत शिविरों को जिला कलक्टर के नेतृत्व में पुनः शुरू किया जा रहा है। अतः आप समस्त को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त निकायों के संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर को उपरोक्त निर्देश पुस्तिकाओं (पांचों वॉल्यूम) की प्रति आवश्यकता अनुसार अविलम्ब उपलब्ध कराई जावें। निर्देश पुस्तिकायें समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर को उपलब्ध हो जाये, अपने स्तर से सुनिश्चित करावें।

उपरोक्त पुस्तकों के पांचों वॉल्यूम स्वायत्त शासन विभाग एवं जन कल्याण पोर्टल पर भी अपलोड कर दिये गये हैं। वहां से भी इसकी प्रति ली जा सकती है।

उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें।

(राकेश कुमार)  
अतिरिक्त निदेशक

दिनांक :- 29/06/2022

क्रमांक : PSKS/अभियान-21/डीएलबी/2021/6221-64  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, सलाहकार महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक